न्यायालय श्री मान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

जिला रीवा म०प्र०

निगरानी प्रकरण क्रमांक /2014

श्री राम उजागर सिंह तिवारी
एड. द्वारा पेश 28.8.14

28.8.14

R-3294-III/14

513
28.8.14

क्रमांक 3061
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक ........ को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

COURT FEE 20 Rs भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

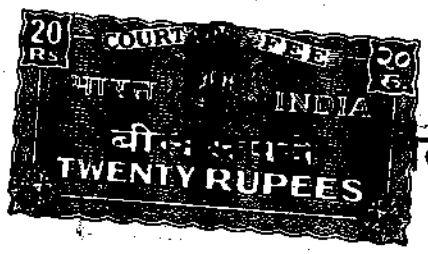

विलोपित

रामनाथ पिता रामनेवाज 55साल पिता रामनेवाज पटेल पेशा खेती, निवासी ग्राम कठार, तहसील मानपुर, जिला उमरिया म०प्र०

------ आवेदक/ निगराकार

बनाम

1- कुंजविहारी पिता रामप्रताप पटेल निवासी ग्राम कठार, तह० मानपुर, जिला उमरिया म०प्र०

2- शासन म०प्र० --------- अनावेदक/गैरनिगराकारगण

निगरानी विरुद्ध आदेश श्री मान् अपर कले० महोदय उमरिया जिला उमरिया के रा०प्र०क्र० 117/ स्व० निगरानी/2011-12 आदेश दिनांक 30-6-14 को पारित किया गया जिसके विरुद्ध यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की जारही है।

---

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भूराजस्व संहितासन 1959ई०

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3294–दो/14 जिला –उमरिया

| ...था दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 28.7.16 | आवेदक के अधिवक्ता श्री रामउजागर सिंह तथा अनावेदक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह उपस्थित। दोनो अधिवक्तागण के तर्क सुने।<br>2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपर कलेक्टर जिला उमरिया के प्रकरण क्रमांक 117/स्व0 निगरानी/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 30.6.14 के विरूद्व इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।<br>3– प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि आवेदक ग्राम कुठार तहसील मनपुर जिला उमरिया का मूल निवासी है तथा आवेदक भूमिहीन है आराजी न0 439/1 के जुज रकवा 1.363 है0 एवम भूमि न0 435/4 रकवा 405 है0 स्थित ग्राम कोलर तहसील मनपुर जिला उमरिया में स्थित है तथा उक्त भूमि में लगभग 50–60 वर्षो से आवेदक/निगराकार का कब्जा दखल रहा तथा आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार मानपुर के न्यायालय में व्यवस्थापन प्रकरण क्रमांक 334/अ–19/4/89–90 आदेश दिनांक 7.3.90 के अनुसार नायब तहसीलदार मानपुर द्वारा विधिवत [illegible] आदि के साथ | |

लिया जाकर आवेदक के समक्ष में व्यवस्थापन की गई। अनावेदक कुंज विहारी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला उमरिया के समक्ष स्व0 निगरानी याचिका प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ न्याययालय ने प्रकरण कमांक 117/स्व0 निगरानी/11–12 केतहत लिया जाकर आवेदक के स्वत्व व आधिपत्य की व्यवस्थापित शुदा भूमियों को आवेदक के नाम जो किया गया उसे निरस्त कर दिया गया तथा पुनः उक्त भूमि म0प्र0 शासन दर्ज करने का आदेश दिया गया। इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

4– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अनावेदक कमांक–1 को तथा कथित भूमियों के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई वैधानिक अधिकारिता नहीं हैं, फिर भी विद्वान अपर कलेक्टर जिला उमरिया द्वारा आवेदित भूमियों को म0प्र0 दर्ज करने का आदेश दिया गया है वह निरस्त करने योग्य है। उनके द्वारा आगे कहा गया है कि आवेदक क्रो भूमियों का जो व्यवस्थापन आवेदक के पक्ष में किया गया था उसमें ग्राम कठार के ही अन्तर्गत मोहल्ला कोलर की आवेदित भूमियां हैं । आवेदक जो एक भूमिहीन है तथा उसके द्वारा अर्सापूर्व सैयानी लगभग 50 वर्ष से विवादित भूमियों में कास्त करता रहाव अंश भाग पर मकान बनाकर व निस्तार आदि करता चला आ रहा है। आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक के पक्ष में दिनांक 7.3.90 को व्यवस्थापन किया गया। इसके बाद 2010 तक किसी प्रकार की शिकायत नहीं हुई। कुछ आपसी विवाद हो जाने के

कराया गया उस समय पर किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद अनावेदक कमांक 1 द्वारा नहीं किया गया जिसकी पुष्टि भी नायब तहसीलदार मानपुर द्वारा की गई है। अपर कलेक्टर जिला उमरिया द्वारा अनावेदक कमांक–1 द्वारा तथा कथित गलत पुनरीक्षण आवेदन पत्र को सही मान कर आवेदक की भूमियों को म0प्र0 शासन वर्ग करने का आदेश दिया गया है वह अवैध है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अंत में निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर जिला उमरिया का आदेश अपास्त किया जावे।

5– अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आवेदक को यह निगरानी प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों कि वादग्रस्त भूमि पर अनावेदक का कब्जा वर्ष 1984 के पूर्व से काबिज होने व भूमिस्वामी घोषित होने के संबंध में पात्रता रखने के कारण भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये हैं जिसे चुनौती देने का अधिकार आवेदक को नहीं है। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अनावेदक के पक्ष में हुये व्यवस्थापन में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है । अतः उसे स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया है।

6– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का परिशीलन किया गया तथा विधि की स्थितियों पर विचार करने के बाद पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदक को प्रदान किये गये

भूमि स्वामी अधिकार की प्रशाधीन भूमि के संबंध में विधिवत उद्घोषणा का प्रकाशन नहीं किया गया न ही ग्राम पंचायत का संकल्प ही प्राप्त किया गया। विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के प्रावधानों के तहत ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्राप्त करना अनिवार्य था केवल सरपंच केव्यक्तिगत अभिमत का अधिनियम में कोई प्रावधान ना होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत पारित किया जाना कहा जायेगा। अनावेदक ग्राम कठार का रहने वाला है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे ग्राम कोलर की भूमि भूमिस्वामी हक में दी गई है। अधिनियम में ऐ प्रावधान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधि के नियमों का परीक्षण किये प्रश्नााधीन भूमि पर अनावेदक को पात्रता न रखनें के बाबजूद भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किया गया है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अपर कलेक्टर जिला उमरिया का आदेश दिनांक 30.6.14 बोलता हुआ आदेश है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है । पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा0 द0 हो। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य